नाम –खादी और ग्रामोद्योग आयोग (महाराष्ट्र)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है (अधिनियम 1956 की संख्या 61, अधिनियम 1987 की संख्या 12 तथा अधिनियम 2006 की संख्या 10 द्वारा यथा-संशोधित)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के व्यापक उद्देश्यों में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं-

- रोजगार प्रदान करने संबंधी सामाजिक उद्देश्य
- बिक्री–योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य
- निर्धन व्यक्तियों को आत्म-निर्भर बनाना तथा उनमें सशक्त ग्रामीण सामुदायिक भावना जागृत संबंधी व्यापक उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण विकास में शामिल अन्य अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर, जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपयुक्त योजना तैयार करने, इसका प्रचार-प्रसार करने, इसे सुसंगठित करने तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का कार्यभार सौंपा गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-

उत्पादकों को कच्चे माल व उपस्करों की आपूर्ति हेतु भंडार-गृह का निर्माण करना, कच्चे माल के प्रसंस्करण हेतु सामान्य सेवा सुविधाओं का सृजन करना, इन उद्योगों में शामिल कारीगरों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के विपणन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना तथा उनमें समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना। खादी तथा/अथवा ग्रामोद्योगी उत्पादों अथवा हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, यथासंभव व यथाआवश्यक, स्थापित विपणन अभिकरणों के साथ लिंकेज तैयार कर सकता है।

<u>खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्य-</u>

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कार्य खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा इसकी बिक्री को सुनिश्चित करना है ।

<u>निष्पादित गतिविधियां</u>

<u>वस्तुओं की आपूर्ति</u>

1. खादी उत्पाद

2. ग्रामोद्योगी उत्पाद

3. हाथ कागज

4. रेडीमेड परिधान

<u>प्रदत्त सेवाएँ</u>

1. वाणिज्यिक कोचिंग सेवा

<u>बिक्री /वितरण –स्थल</u>

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विनिर्मित उत्पादों की बिक्री पूरे भारत में की जाती है। इसलिए वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादों की बिक्री सीएसटी, वैट (अनुप्रयोज्यता के अनुसार) प्रभारित करने के उपरांत की जा रही है ।

बिक्री के प्रकार (महाराष्ट्र परिचालन)

स्थानीय बिक्री (वैट)

अंतर्राज्यीय बिक्री (सीएसटी)

<u>सेवाएँ –</u>

रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन

<u>क्रय/प्रापण</u>

वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा माल की खरीद स्थानीय कारीगरों एवं बाज़ारों तथा अंतर्राज्यीय बाज़ारों तथा कारीगरों से की जा रही है।

<u>लागू कर</u>

महाराष्ट्र वैट, सीएसटी, सेवा कर

<u>कर विवक्षाएं</u>

वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग बिक्री पर एमवीएटी, सीएसटी तथा अनुप्रयोज्य संव्यवहार हेतु सेवा कर के अंतर्गत रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत सेवाओं हेतु सेवा कर का भुगतान करता है ।

(आवश्यक : वर्तमान में एचएसएन कोड के साथ बेचे गए उत्पादों के संबंध में मदवार अनुप्रयोज्य वैट/सीएसटी तथा उत्पाद दर व लागू दर/ड्यूटी चार्ट का विवरण उपलब्ध कराएं)

<u>इनपुट टैक्स क्रेडिट</u>

खादी और ग्रामोद्योग आयोग स्थानीय रूप से खरीदे गए माल पर वैट क्रेडिट ले रहा है। अंतर्राज्यीय खरीद पर सीएसटी प्रभारित किया जाता है तथा मौजूदा नियमों के अनुसार सीएसटी का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता है।

आरसीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल व्यय/सेवाएँ

जनशक्ति भर्ती सेवा/सुरक्षा सेवाएँ

जीटीए सेवाएँ

वर्क कांट्रैक्ट सेवाएँ

विधिक परामर्श सेवाएँ

कैब को किराए पर देना/लेना

जीएसटी का संभावित प्रभाव

- अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग अंतर्राज्यीय खरीद पर क्रेडिट ले सकता है, जो कि पूर्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए उपलब्ध नहीं था ।
- जीएसटी के दायरे में प्राप्त अग्रिम हेतु अनुपालन।
- ई-वे बिल प्रक्रिया इत्यादि के अनुपालन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अपने ठेकेदारों तथा परिवाहकों (ट्रांसपोर्टर्स) को प्रशिक्षित करने हेतु यथाआवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- पंजीकृत डीलर्स /सेवा प्रदाताओं से माल व सेवा का प्रापण करना।
- अंतर्राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण संव्यवहार अर्थात मूल्यांकन व अनुपालन खादी और ग्रामोद्योग आयोग को जीएसटी के उपरोक्त प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की पुनर्संरचना पर विचार करना है।

परिवर्ती (ट्रांजिशनल) प्रावधान

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आईटीसी (यदि कोई है) को अग्रणीत करने हेतु जीएसटी अधिनियम में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को सुनिश्चित करने की अवश्यकता है। जैसे कि –सांविधिक रीटर्न्स, बकाये कर का भुगतान इत्यादि। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्व कर रिजीम का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए आईटीसी (यदि कोई हो) को अग्रणीत नहीं किया जा सकता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग से सभी संबंधित जानकारी प्राप्त होने के उपरांत अन्य परिवर्ती प्रावधानों पर चर्चा की जा सकती है।

जीएसटी के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई

1. पुराने एमवीएटी रिजीम से नए जीएसटी में जाना ।
2. एआरएन (माइग्रेशन) की प्रति
3. विक्रेताओं से केवाईसी शीट प्राप्त करना आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/सेवा-प्रदाताओं के एआरएन का विवरण
4. दिनांक 30/6/2017 तक माल का विवरण तैयार करना ।
5. महाराष्ट्र स्थित शाखाओं /इकाइयों की सूची तैयार करना।
6. सभी करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने हेतु मौजूदा सभी गैर –संक्रियात्मक पंजीकरणों को रद्द करना।
7. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए संविदा-टर्म्स को रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है।
8. एचएसएन कोड के साथ बेचे गए व खरीदे गए उत्पादों की सूची तैयार करना।
9. सिस्टम में एचएसएन कोड व रेट की मैपिंग तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना (यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे अविलंब निष्पादित किया जाएगा।)
10. जीएसटी लॉं रिक्वायरमेंट की अनुरूपता के लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन व एलाइन करना।
11. प्रत्येक अधिनियम के अंतर्गत फाइल की गई रीटर्न कॉपीज़ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए लागू है।
12. सभी उत्तरदायी कार्यालयों से डाटा को कलेक्ट व कोलैट करने संबंधी कार्य-पद्धति तय करना ।
13. इस कार्य के लिए एक पदाधिकारी को नियुक्त करना, जो इकाइयों ब शाखाओं से डाटा कलेक्ट करने व प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा ।
14. ली गयी सेवाओं की सूची तथा उनके एसएसी कोड ।
15. विक्रेताओं की सूची-राज्य-वार ।
16. खरीद एवं बिक्री हेतु समय-समय पर उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड का रख-रखाव ।
17. रिवर्स चार्ज प्रणाली से संबंधित लाभ एवं हानि खाते के व्यय का विश्लेषण।
18. खरीद/सेवा हेतु अपंजीकृत डीलर संबंधी रिकॉर्ड का रख-रखाव ।
19. ट्रांसपोर्टर्स की सूची तैयार करना (विवरण–राज्य-वार)
20. जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस रिक्वायरमेंट का अनुपालन ।
21. केवीआईसी के साथ व्यवसाय करने वाले कंपाउन्डिंग डीलर्स के विवरण को चिन्हित करना।
22. स्टॉक अंतरण संव्यवहार का शाखाओं के अंदर ही चिंहांकन व मैपिंग व इसका अनुपालन ।
23. पूरे केवीआईसी में सभी राजस्व/आय व रिवर्स चार्ज संव्यवहार हेतु सभी इनवायस के समुचित सृजन को सुनिश्चित करना तथा इसका समुचित रख-रखाव व अनुपालन प्रबंधन ।
24. इस बात का निर्धारण करना कि क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने की नीति विद्यमान है ।

- लाभ का स्वरूप
- लाभ की प्रमात्रा

- ऐसे व्यक्ति का केवीआईसी के साथ संबंध

25. खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्नलिखित पर किए गए व्यय का विवरण

- सदस्यता एवं अंशदान
- कर्मचारियों हेतु बीमा किस्त (समूह बीमा इत्यादि)
- मोटर कार मरम्मत व अनुरक्षण
- परिसर का निर्माण इत्यादि

26. आपूर्त माल हेतु दिनांक 30 जून 2017 तक के लिए प्राप्त अग्रिम का विवरण, दिनांक 30 जून 2017 के पश्चात निष्पादित संविदाएं तथा दिनांक 30 जून 2017 के बाद तैयार किए गए बीजक(इनवायस)।

27. यह सुनिश्चित करना कि जीएसटी रिटर्न में उल्लिखित जानकारी महाराष्ट्र के लेखा-बही के अनुरूप है।

विपणन/सरकारी आपूर्ति निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

संख्या:विपणन/जीएसटी/2017-18/ दिनांक 30 जून 2017

सेवा में,

प्रबन्धक, सभी विभागीय बिक्री केंद्र ,खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।

विषय : जीएसटी लागू करने हेतु सूची तैयार करने के संबंध में ।
संदर्भ : दिनांक 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

आपको यह सूचित करना है कि दिनांक 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने जा रहा है । सभी डीएसओ, एमडीटीसी, सीएसपी व बिक्री केन्द्रों को जीएसटी के दायरे में कवर किया जाना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग हेतु जीएसटी कार्यान्वयन की संक्षिप्त सूची निम्नानुसार है –

1. पंजीकरण : माइग्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर जीएसटी पंजीकरण हेतु अस्थायी आईडी प्राप्त करें।
2. खरीदे एवं बेचे जाने वाले माल एवं सेवाओं पर एचएसएन/एसएसी कोड व जीएसटी दर से संबन्धित चार्ट तैयार करें ।
3. उपभोक्ताओं से कर इकट्ठा करना ।
4. कीमत व मूल्य को अलग-अलग दर्शाते हुए उचित इनवायसेज जारी करना शुरू कर दें।
5. विक्रेताओं व ग्राहकों के विवरण इकट्ठा करें । (मोबाइल नं व अन्य संपर्क विवरण)
6. जीएसटी लागू किए जाने से पूर्व दिनांक 31/3/2017 /30/6/2017 की अवधि हेतु अंतिम स्टॉक का निबटान कर लें ।
7. अपने इस प्रकार के स्टॉक को परिमाणात्मक/मात्रात्मक मोड में आवंटित करें ।
8. सभी आपूर्तिकर्ताओं व क्रेताओं का जीएसटीआईएन प्राप्त करें ।
9. यदि, आपके पास सेवा कर के अंतर्गत केंद्रीकृत पंजीकरण है, तो सभी राज्यों में माइग्रेशन हेतु आवेदन करें ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अविलंब अवगत कराएं । विविध उत्पादों हेतु एचएसएन कोड इसके साथ संलग्न है । कृपया इसे अत्यावश्यक समझें ।

संलग्न : उपरोक्त

भवदीय,
(राम नारायण)
सहायक निदेशक/प्रभारी (विपणन)

प्रतिलिपि,
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
2. राज्य/मंडलीय निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
3. परियोजना प्रबन्धक, सभी केंद्रीय पूनी संयंत्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग
4. सभी प्राचार्य, एमडीटीसी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

ह.
सहायक निदेशक /प्रभारी (विपणन)